पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
लेटर्स पेटेंट अपील सं. 828/2019
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या–12752/2014

= = = =

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= = = =

के रूप में चुना गया था। दावा किया जाता है कि अपीलकर्ता को एक आपराधिक मामला यानी थरथरी थाना कांड संख्या–60/2013 में भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 302, 307 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कथित अपराधों के लिए फंसाया गया है। आगे दावा किया जाता है कि उक्त आपराधिक कार्यवाही के कारण प्रतिवादी सं. 5 ने 26.02.2014 को नालंदा जिले के अटवाल बिगहा में केंद्र संख्या 62 के लिए आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अपीलकर्ता का चयन रद्द कर दिया क्योंकि वह लगातार नियुक्ति स्थल से अनुपस्थित थी और उक्त समाप्ति आदेश को प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 03.05.2014 को पुष्टि की। अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उक्त आदेशों को चुनौती दी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान एल.पी.ए. लाया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चयन के बाद अपीलकर्ता ने वर्ष 2004, 2006 और 2010 में कल्याण विभाग के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता वर्ष 2003 से अपने कर्तव्य का निर्वहन उच्च अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के साथ कर रही है और अपीलकर्ता के विरुद्ध कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की एक भी शिकायत नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उक्त आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले अपीलकर्ता बीमार थी, जिसके कारण उसे 07.10.2013 को इलाज के लिए राजेश्वर अस्पताल, पटना में भर्ती कराया गया था और उसे एक महीने तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 348/2015 के तहत 28.04.2018 को आपराधिक मामले से बरी कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त मामले के स्थापित होने के बाद अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है और उसकी प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने अपीलकर्ता की रिट याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें यह कहा गया है कि अपीलकर्ता को सेवा से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वह आपराधिक मामले में शामिल है और वह नियुक्ति के स्थान से अनुपस्थित पाई गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को कभी भी कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता की सेवा को अचानक समाप्त करने का आदेश पारित किया गया जो कि बिना किसी आधार के है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा से समाप्त कर दिया गया है। इस तरह, प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए बिना आदेश पारित कर दिया।

5. प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न्यायोचित और कानूनी है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अपीलकर्ता को ज्ञापन

संख्या 392 दिनांक 11.02.2014 के साथ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण नोटिस की तामीला नहीं हो सकी और आंगनबाड़ी केंद्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि थरथरी थाना कांड संख्या– 60/2013 के आपराधिक मामले में आरोपों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 26.02.2014 के आदेश के तहत अपीलकर्ता को सेविका के रूप में सेवा से सही तरीके से समाप्त कर दिया और वरिष्ठ अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। इस तरह, समाप्ति आदेश उचित और स्पष्ट है।

6. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इस आधार पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा 26.02.2014 को पारित बर्खास्तगी का आदेश न्यायोचित एवं विधिक नहीं है जो प्राकृतिक न्याय की भावना के विरुद्ध है। केवल इस आधार पर अपीलकर्ता को बर्खास्त नहीं किया जा सकता कि उस पर आपराधिक कार्यवाही का आरोप है।

7. ऑगनबाड़ी पर्यवेक्षिका /सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 4.12 में उल्लिखित प्रासंगिक निर्देश दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:–

> *"4.12. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दंडित न किया गया हो अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बंधपत्र दाखिल करने का आदेश सक्षम न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया हो।"*

दूसरे शब्दों में, आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन से पहले व्यक्ति को उक्त मानदंड को पूरा करना होगा कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए और उसे बांड भरने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। यह निर्देश वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि अपीलकर्ता वर्ष 2003 से ही आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में माना है कि न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुँचने के लिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अर्ध–न्यायिक कार्य के साथ–साथ प्रशासनिक कार्य में भी समान रूप से लागू होता है और यह देखना कठिन है कि इसे केवल अर्ध–न्यायिक जाँच पर ही क्यों लागू किया जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक जाँच पर और यह स्थापित कानून है कि इसे तार्किक रूप से दोनों पर लागू होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** के मामले में (1993) 3 एससीसी 259 में पैरा–12 में टिप्पणी की है जो इस प्रकार है:–

> *"12. इसलिए, निष्पक्ष कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि अपनाई गई प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हो। शक्ति के प्रयोग का तरीका*

और प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों पर उसका प्रभाव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होगा।"

उक्त सिद्धांत को हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य*** के मामले में दोहराया गया है, जो 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 342 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:–

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत केवल कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं। वे मूलभूत दायित्व बनाते हैं जिनका निर्णय लेने वाले और न्याय करने वाले अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक, अर्ध–न्यायिक, अधिकारियों और प्रशासनिक द्वारा प्रक्रिया और सार दोनों के संदर्भ में मनमानी कार्रवाई के खिलाफ गारंटी के रूप में कार्य करते हैं।

9. वर्तमान मामले में, जब प्रतिवादी प्राधिकारी की कार्रवाई का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी पर किया जाता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों (ऊपर उद्धृत) में देखा गया है, तो यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्राधिकारी की कार्रवाई मनमानी है क्योंकि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जब संबंधित प्राधिकारी ने पीड़ित व्यक्ति को अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया, तो इस आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश कानून की भावना के विरुद्ध है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में देखा है।

10. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला रखने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलकर्ता को केवल आपराधिक मामले यानी थरथरी कांड सं.– 60/2013 में आरोप के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद से अचानक बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा। मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश योग्यता से रहित हैं और अपीलकर्ता ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.– 12752/2014 में पारित 17.06.2019 के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए एक मामला बनाया है। तदनुसार, 17.06.2019 के फैसले को रद्द कर दिया गया और सीडब्ल्यूजेसी नंबर 12752/2014 को अनुमति दी गई, परिणामस्वरूप वर्तमान एल.पी.ए. को अनुमति दी गई।

11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को 26.02.2014 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और तीसरे पक्ष का हित पहले ही सृजित किया जा चुका था। इसलिए, उपर्युक्त परिस्थिति में, अपीलकर्ता मुआवजे का हकदार है और इसकी मात्रा 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) निर्धारित की गई है। इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर

अपीलकर्ता को 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा न करने पर अपीलकर्ता सीडब्ल्यूजेसी दाखिल करने की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है।

(श्री पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(श्री आलोक कुमार पाण्डे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।